## <u>न्यायालय : गोपेश गर्ग, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,</u> <u>गोहद जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश</u>

प्रकरण कमांक : 20/2013

संस्थापन दिनांक 21.01.2013

म.प्र.राज्य द्वारा पुलिस थाना मालनपुर जिला भिण्ड म.प्र.

– अभियोजन

## बनाम

1—धर्मवीर उर्फ एदलसिंह पुत्र रामनिवाससिंह गुर्जर उम्र 22 साल निवासी ग्राम गुरीखा थाना मालनपुर जिला भिण्ड म0प्र0

– अभियुक्त

## <u>निर्णय</u>

( आज दिनांक.....को घोषित )

- उपरोक्त अभियुक्त के विरुद्ध धारा 279, 337 भा.द.स. के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप हैं कि उसने दिनांक 11.06.12 को शाम के साढ़े आठ बजे के लगभग ककरारीपुरा के आगे पुलिया के पास सार्वजनिक मार्ग पर हीरोहोण्डा मोटरसाइकिल कमांक एम0पी0—30—एम.ई.6637 को इस प्रकार उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाया जिससे फरियादी हरीसिंह अ0सा02 का मानव जीवन संकटापन्न किया तथा हरीसिंह अ0सा02 को टक्कर मारकर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की।
- 2. अभियोजन का मामला संक्षेप में यह है कि दिनांक 11.06.12 को फरियादी हरीसिंह अ0सा02 अपनी साइकिल से ग्राम टुडीला से न्यौता खाकर वापिस अपने गांव ककरारीपुरा आ रहा था। जैसे ही वह ककरारीपुरा के पहले पुलिया के पास समय करीब 8—8:30 बजे आया तभी सामने ग्राम ककरारीपुरा तरफ से एक मोटरसाइकिल चालक मोटरसाइकिल को तेजी व लापरवाहीपूर्वक चलाता हुआ लाया और उसकी साइकिल में टक्कर मार दी जिससे वह गिर पड़ा जिससे उसके दाहिने जांघ में मूंदी चोट लगी। तत्पश्चात फरियादी हरीसिंह अ0सा02 की सूचना पर थाना मालनपुर में प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी—2 दर्ज की गयी जिस पर से अप0क0 86/12 पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया और संपूर्ण विवेचना उपरांत आरोपी के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला प्रकट होने से अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

10

🔬 ) प्रकरण कमांक : 20/2013

3. आरोपी ने अपराध की विशिष्टियां अस्वीकार कर विचारण का दावा किया है और आरोपी की प्रतिरक्षा है कि उसे प्रकरण में झूठा फंसाया है बचाव में किसी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।

4. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न है कि :--

- 1. क्या आरोपी ने दिनांक 11.06.12 को शाम के साढ़े आठ बजे के लगभग ककरारीपुरा के आगे पुलिया के पास सार्वजनिक मार्ग पर हीरोहोण्डा मोटरसाइकिल कमांक एम0पी0—30—एम.ई.6637 को इस प्रकार उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाया जिससे फरियादी हरीसिंह अ0सा02 का मानव जीवन संकटापन्न किया ?
- 2. क्या आरोपी ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर उपरोक्त वाहन से हरीसिंह अ0सा02 को टक्कर मारकर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की ?

## //विचारणीय प्रश्न क्रमांक ०१ व ०२ का सराकरण निष्कर्ष//

- आहत हरीसिंह अ0सा02 ने कथन किया है कि वह आरोपी धर्मवीर को जानता है। 2—3 वर्ष पूर्व साढ़े सात—आठ बजे ग्राम टुडीला सेसाइकिल से जा रहा था तब आरोपी धर्मवीर तेजी व लापरवाही से मोटरसाइकिल चलाकर आया और पुलिया के पास ग्राम ककरारीपुरा के आगे एक्सीडेन्ट कर दिया जिससे उसके टांग और पोंहचे में चोट लगी थी। घटना के बाद सुनीता अ0सा06 और नाथूराम अ0सा03 मौके पर पहुंच गये थे। उसने मोटरसाइकिल का नंबर देख लिया था परन्तु साक्ष्य के समय मोटरसाइकिल का नंबर याद रहने से इंकार किया है। उसने घटना की रिपोर्ट प्र0पी—2 की थी जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने घटनास्थल का नक्शामौका प्र0पी—3 बनाया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।
- हरीसिंह अ०सा०२ ने मुख्यपरीक्षण में बताया है कि घटना के बाद सुनीता अ०सा०६ व नाथू अ०सा०३ आ गये थे नाथू अ०सा०३ ने भी मुख्यपरीक्षण में बताया है कि तीन वर्ष पूर्व वह ग्राम टुडीला से मजदूरी करके लौट रहा था तब हरीसिंह अ०सा०१ पड़ा हुआ था जिसकी पत्नी सुनीता अ०सा०६ ने बताया था कि एक मोटरसाइकिल वाले ने टक्कर मार दी थी और हरीसिंह अ०सा०२ को दवाई के लिए ले चलो फिर उन्होंने थाने पर जाकर रिपोर्ट की और फिर इलाज के लिए गये थे। एक्सीडेन्ट किसने किया उसे नहीं मालूम। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर इस साक्षी ने इंकार किया है कि उसने घटना होते हुए देखी थी। इस सुझाव से भी इंकार किया है कि धर्मवीर ने तेजी व लापरवाही से मोटरसाइकिल चलाकर टक्कर मारी और उसने चालक को देख लिया था और इस आशय के तथ्य उल्लिखित होने पर भी ध्यान आकर्षित कराये जाने पर कथन अंतर्गत धारा 161 दप्रस प्र0पी—4 में भी दिए जाने से इंकार किया है।
- 7. सुनीता अ०सा०६ ने भी कथन किया है कि हरीसिंह अ०सा०२ उसका पित है उसे गांववालों ने खबर की थी कि हरीसिंह अ०सा०२ का एक्सीडेन्ट हो गया है जो ग्राम टुडीला गया था। गांववालों ने बताया था कि मोटरसाइकिल से एक्सीडेन्ट हुआ था फिर वह हरीसिंह अ०सा०२ को रिपोर्ट करने ले गयी। जहां से इलाज के लिए वह अस्पताल ले गयी। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी होषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर इस साक्षी ने इंकार किया है कि नाथू

🚮 प्रकरण कमांक : 20/2013

अ0सा03 के साथ वह लौट रही थी। इस सुझाव से भी इंकार किया है कि उसने एक्सीडेन्ट होते हुए देखा था। इस सुझाव से भी इंकार किया है कि मोटरसाइकिल चालक मोटरसाइकिल को तेजी व लापरवाही से चलाकर आया था। और इस आशय के तथ्य उल्लिखित होने पर भी ध्यान आकर्षित कराये जाने पर कथन अंतर्गत धारा 161 दप्रस प्र0पी—10 में भी दिए जाने से इंकार किया है।

🧪 अतः नाथू अ०सा०३ और सुनीता अ०सा०६ जो अभियोजन मामले में चक्षुदर्शी साक्षी के रूप में उल्लिखित हैं, ने न्यायालयीन साक्ष्य में स्वयं को घटना का प्रत्यक्ष साक्षी होने से इंकार किया है। हरीसिंह अ०सा०२ ने भी उक्त नाथू अ०सा०३ व सुनीता अ०सा०६ का घटना के बाद ही आना बताया है। अतः यद्यपि नाथू अ०सा०३ व सुनीता अ०सा०६ ने न्यायालयीन साक्ष्य में अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया है परन्तु हरीसिंह अ०सा०२ के कथन की संपृष्टि की है जो धारा 6 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अधीन सूसंगत है। घटना के स्वतंत्र साक्षी अख्तर अ०सा०१ ने भी अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया है और घटना की जानकारी होने से इंकार किया है। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर इस साक्षी ने इंकार किया है कि दिनांक 11.06.12 को वह ग्राम ककरारीपुरा के आगे पुलिया के पास था तब उसके सामने मोटरसाइकिल क्रमांक एम0पी0-30-एम.ई.६६३७ तेजी व लापरवाही से चलकर आई और हरीसिंह अ0सा02 को टक्कर मार दी और इस आशय के तथ्य उल्लिखित होने पर भी ध्यान आकर्षित कराये जाने पर कथन अंतर्गत धारा 161 दप्रस प्र0पी–1 में भी दिए जाने से इंकार किया है। अतः घटना के प्रत्यक्ष साक्षी के रूप में मात्र आहत हरीसिंह अ०सा०१ की साक्ष्य अभिलेख पर है। धारा 133 साक्ष्य अधिनियम के अधीन साक्षी की संख्या नहीं अपितु साक्ष्य की गुणवत्ता महत्वपूर्ण है और न्यायदृष्टांत भजनसिंह उर्फ हरभजनसिंह बनाम स्टेट्र ऑफ हरियाणा ए.आई.आर. 2011 सु.को. 2552 में प्रतिपादित किया गया है कि आहत साक्षी की साक्ष्य पर विश्वास किया जाना चाहिए जब तक कि उसे निरस्त करने का आधार अभिलेख पर न हो।

डॉ० धीरज गुप्ता अ०सा०४ का कथन है कि वह दिनांक 11.06.12 को सी.एच.सी. गोहद में मेडीकल ऑफीसर के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को आरक्षक नं० 99 आलोक तिवारी थाना मालनपुर द्वारा आहत हरीसिंह पुत्र रामदयाल उम्र 45 साल जाति जाटव निवासी ककरारी का पुरा को लाये जाने पर आहत का मेडीकल परीक्षण करने पर आहत के डिफोरिमटी सूजन जो दांयी जांघ के मध्य आगे के भाग से नीचे तक थी इसलिए लिए एक्स—रे की सलाह दी गयी थी तथा दाहिनी कलाई पर कंट्यूजन था जिसका आकार 2गुणा2 से.मी. था इसके लिए एक्स—रे की सलाह दी गयी थी। उसके मतानुसार चोट नं० 1 व 2 कठोर व मोंथरी वस्तु से आना प्रतीत होती है जोंकि शून्य से 24 घण्टे के अंदर आना प्रतीत होती है। उसके द्वारा तैयार मेडीकल रिपोर्ट प्र०पी—5 हे जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। तथा दिनांक 12.06.12 को आहत का एक्स—रे टेक्नीशियन द्वारा एक्स—रे किया गया जिसमें आहत को कोई अस्थिभंग नहीं पाया गया था उसके द्वारा तैयार रिपोर्ट प्र०पी—6 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

10. साक्षी कोकसिंह अ०सा०५ का कथन है कि वह दिनांक 11.06.12 को थाना मालनपुर में प्र0आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को फरियादी हरीसिंह ने अज्ञात मोटरसाइकिल चालक के विरुद्ध तेजी व लापरवाही से

🔬 ) प्रकरण कमांक : 20/2013

मोटरसाइकिल चलाकर टक्कर मार देने बाबत रिपोर्ट लेख कराई थी जो उसके बताये अनुसार लेख की थी। रिपोर्ट प्र0पी—2 है जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। फरियादी की रिपोर्ट पर से असल अप0क0 86/12 अंतर्गत धारा 279, 337 पंजीबद्ध किया था। दौराने विवेचना घटनास्थल पर पहुंचकर हरीसिंह की निशादेही पर नक्शामौका प्र0पी—3 बनाया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। गवाह हरीसिंह, नाथूराम, सुनीता, अख्तर खां के कथन उनके बताये अनुसार लेख किए थे। गाड़ी मालिक दलवीरसिंह से प्रमाणीकरण प्र0पी—7 बनाया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपी धर्मसिंह से एक मोटरसाइकिल लाइसेन्स, बीमा प्र0पी—8 के वर्णानुसार जप्त कर जप्ती पत्रक बनाया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपी धर्मवीर को गिरफतार कर गिरफतारी पत्रक प्र0पी—9 बनाया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

हरीसिंह अ०सा02 ने प्रतिपरीक्षण के पैरा 2 में कथन किया है कि वह साढ़े छः बजे साइकिल पर बैठकर घर से निकला था और ग्राम ककरारीपुरा से ग्राम टुडीला साइकिल से जा रहा था उसे खाना खाने में लगभग आधा घण्टा लगा होगा। अभियोजन मामले में घटना शाम 8:30 बजे की उल्लिखित है। विवेचक कोकिसिंह अ०सा05 ने इस संबंध में सुझाव नहीं दिया है कि ग्राम टुडीला और ककरारीपुरा के मध्य कितनी दूरी है। अतः इस संबंध में साक्ष्य के अभाव में 6 बजे घर से निकलने के बाद साढ़े आठ बजे घटना होने से कोई विलम्ब स्पष्ट नहीं होता है। हरीसिंह अ०सा02 ने प्रतिपरीक्षण में ही कथन किया है कि वह थाने कितने बजे पहुंचा उसे नहीं मालूम क्योंकि वह घड़ी नहीं बांधे हुए था और स्वतः कथन किया है कि रात नौ साढ़े नौ बजे रिपोर्ट लिखाई थी और वह थाने मोटरसाइकिल से गया था। घटनास्थल से थाने की दूरी 4 कि.मी. की है। एफ. आई.आर. प्र0पी—2 20:55 अर्थात लगभग 9 बजे की है अतः बिना विलम्ब के एफ. आई.आर. प्र0पी—2 दर्ज कराई गयी है।

12. हरीसिंह अ०सा०२ ने प्रतिपरीक्षण के पैरा 2 में स्वीकार किया है कि उसने गाड़ी चालक का नाम एफ.आई.आर. प्र0पी—2 में नहीं लिखाया था लेकिन इस सुझाव से इंकार किया है कि उसने अज्ञात में रिपोर्ट लिखाई थी। एफ.आई. आर. प्र0पी—2 में वाहन का कमांक अथवा वाहन चालक का नाम उल्लिखित नहीं है और अंधेरा होने के कारण मोटरसाइकिल का नंबर न देख पाना फरियादी ने एफ.आई.आर. प्र0पी—2 में लिखाया है जिसमें आरोपी को पहचानने की क्षमता वर्णित नहीं की है और न्यायालयीन साक्ष्य में आरोपी धर्मवीर को स्पष्ट रूप से पहचाना है। अतः न्यायालयीन साक्ष्य से एफ.आई.आर. प्र0पी—2 के उल्लिखित तथ्यों के अभाव में भी आरोपी की पहचान स्पष्ट होती है।

13. हरीसिंह अ०सा०२ ने स्वीकार किया है कि एफ.आई.आर. प्र०पी—2 व नक्शामौका प्र०पी—3 पर थाने पर हस्ताक्षर करा लिए थे उनमें क्या लिखा था उसे जानकारी नहीं है। रिपोर्ट किसने लिखी उसे जानकारी नहीं है और पुलिस ने उसका बयान नहीं लिया। यद्यपि कोकसिंह अ०सा०५ ने घटनास्थल का नक्शामौका प्र०पी—3 बनाया जाना और हरीसिंह के कथन लेख करना बताया है और थाने पर नक्शामौका बनाये जाने या गवाहों के कथन लेने से प्रतिपरीक्षण में इंकार किया है। उक्त तथ्य विवेचना को विपरीत रूप से प्रभावित करता है। परन्तु धारा 161 दप्रस के कथन सारभूत साक्ष्य नहीं है और न्यायालय में फरियादी ने स्पष्ट साक्ष्य दी है और घटनास्थल भी न्यायालयीन साक्ष्य से स्पष्ट किया है।

- अतः उपरोक्त साक्ष्य की विवेचना से हरीसिंह अ0सा01 द्वारा 14. मुख्यपरीक्षण में दिए कथन प्रतिपरीक्षण में किसी महत्वपूर्ण लोप या विरोधाभास से ग्रस्त नहीं है और प्रतिपरीक्षण में अखण्डित रहे हैं। अतः एकल आहत साक्षी हरीसिंह अ0सा02 के कथन पर पूर्णतः निर्भर रहा जा सकता है। जिसके कथन से यह स्पष्ट होता है कि घटना के समय आरोपी द्वारा वाहन को उपेक्षापूर्वक सार्वजनिक स्थान पर परिचालित किया गया था जिसके परिणामस्वरूप हरीसिंह अ०सा०१ को उपहति हुई जिसकी संपुष्टि चिकित्सक डॉ० धीरज गुप्ता अ०सा०४ के कथन से भी हुई है। अतः उपरोक्त साक्ष्य की विवेचना से अभियोजन अपना मामला युक्तियुक्त संदेह के परे प्रमाणित करने में सफल रहता है और यह सिद्ध होता है 🔷 कि आरोपी ने दिनांक 11.06.12 को शाम के साढ़े आठ बजे के लगभग ककरारीपुरा के आगे पुलिया के पास सार्वजनिक मार्ग पर हीरोहोण्डा मोटरसाइकिल कमांक एम0पी0—30—एम.ई.6637 को इस प्रकार उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाया जिससे फरियादी हरीसिंह अ०सा०२ का मानव जीवन संकटापन्न किया तथा हरीसिंह अ०सा०२ को टक्कर मारकर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की।
- परिणामतः आरोपी धर्मवीर को धारा २७७, ३३७ भा.द.स. के आरोप में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।
- आरोपी के जमानत व मुचलके भारमुक्त कर उसे अभिरक्षा में लिया 16. जाता है।
- अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों पर विचार किया गया। 17. वर्तमान परिवेश में सड़क दुर्घटना की घटनायें बढ़ रही हैं और आरोपी ने भी उपेक्षापूर्वक वाहन को परिचालित किया है जिससे बड़ी दुर्घटना भी हो सकती थी अतः आरोपी का कृत्य ऐसा नहीं है कि उसे परिवीक्षा का लाभ प्रदान किया जाये। अतः आरोपी को परिवीक्षा का लाभ प्रदान नहीं किया जा रहा है।
- परिणामतः आरोपी को धारा २७७ भा.द.स. के आरोप में एक हजार रुपये 18. अर्थदण्ड से तथा न्यायालय उठने तक के कारावास से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड जमा करने के व्यतिक्रम की दश में पांच दिवस का साधारण कारावास भुगताया जाये। आरोपी को धारा 337 के आरोप में पांच सौ रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड जमा करने के व्यतिक्रम की दश में पांच दिवस का साधारण कारावास भ्गताया जाये।
- प्रकरण में जप्त वाहन कमांक एम0पी0-30-एम.ई.6637 आवेदक ्र आ जवाधे पश्चात उन्मं जवाल न्यायालय के आदेश का प सही /— (गोपेश गर्ग) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद जिला भिण्ड म०प्र० दलवीरसिंह की सुपुर्दगी में है। अतः सुपुर्दगीनामा अपील अवधि पश्चात उन्मोचित समझा जाये और अपील होने की दशाँ में अपील न्यायालय के आदेश का पालन किया जाये।

दिनांक :-